	सीएसआईआर-केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्) सैक्टर 30-सी, चण्डीगढ़-160 030 (भारत) **www.csio.res.in**

ऑनलाइन आवेदन के प्रारंभ होने की तिथि: **16.07.2025**

ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि: **15.08.2025** (सायं 5.00 बजे तक)

विज्ञापन संख्या नियमित 03/2025

(ग्रुप ।।। तकनीकी स्टाफ की भर्ती)

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास का हिस्सा बनने का एक अनुपम अवसर

सीएसआईआर-केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सीएसआईआर-सीएसआईओ), चण्डीगढ़, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) के अधीनस्थ एक प्रमुख संस्थान है, जो माप-विज्ञान तथा उपकरण-विन्यास प्रौद्योगिकियों पर बल देते हुए विविध वैज्ञानिक क्षेत्रों में मूल एवं अनुप्रयुक्त दोनों प्रकार के बहु-विषयी अनुसंधान एवं विकास कार्यो में संलग्न है। संगठन कृषि उपकरण-विन्यास, जैव-चिकित्सा उपकरण-विन्यास, ऑप्टिकल उपस्कर एवं प्रणालियां, भू-वैज्ञानिक उपकरण-विन्यास, प्रिसीज़न यांत्रिक प्रणालियां, विश्लेषणात्मक तकनीकें तथा अनुसंधान एवं विकास सहायक सुविधाएं, कम्प्यूटेशनल उपकरण-विन्यास आदि क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यो को समर्पित है।

उत्कृष्ट शैक्षिक योग्यताओं एवं प्रमाणित तकनीकी कौशल प्राप्त और अपेक्षित अनुभव व उच्च प्रेरणा रखने वाले भारतीय उम्मीदवारों से निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए निम्न विवरणानुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिससे कि चण्डीगढ़ और चेन्नै केन्द्रों में रिक्तियों को भरा जा सके:-

क्र.सं	पदनाम	पदों की संख्या एवं श्रेणी	वेतन मैट्रिक्स	*कुल परिलब्धियां	** अधिकतम आयु सीमा (ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि को) निम्नांकित से अधिक नहीं)
1	तकनीकी सहायक	25# (अनारक्षित-16, ओबीसी-07, ईडब्ल्यूएस-02) #पीडब्ल्यूडी (01-एचएच, 01-वीएच व 2-ओएच) के लिए आरक्षित 04 पदों सहित	लैवल-06, सैल-1 (रु.35400-112400)	रु. 71000/- (लगभग)	28 वर्ष

* कुल परिलब्धियों का अर्थ सीएसआईआर में 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद मकान किराए भत्ते (एचआरए) सहित 1 जनवरी, 2025 को वेतनमान के न्यूनतम पर अनुमानित कुल परिलब्धियां है।

** आयु में छूट के लिए विज्ञापन का ''सामान्य सूचना एवं शर्तें'' शीर्षक देखें।

पदों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	पदनाम/वेतन लैवल	विशेषज्ञता के क्षेत्र	अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव+
1.	तकनीकी सहायक श्रेणी ।।। पोस्ट कोड -टीएएमईएच 01 08 पद (यूआर-04, ओबीसी-03, ईडब्ल्यूएस-01)	मकेनिकल	मकेनिकल इंजी./टैक्नोलॉजी में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ कम से कम तीन वर्ष का पूर्णकालिक डिप्लोमा तथा सम्बद्ध क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव। अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में पार्श्व प्रवेश के मामले में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ मकेनिकल इंजी. /टैक्नोलॉजी में कम से कम दो वर्ष का पूर्णकालिक डिप्लोमा तथा सम्बद्ध क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव।
2.	तकनीकी सहायक श्रेणी ।।। पोस्ट कोड -टीएसीएसइ ि02 06पद (यूआर-04, ओबीसी-01, ईडब्ल्यूएस-01)	कम्प्यूटर विज्ञान	कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग/ सूचना प्रौद्योगिकी में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ कम से कम तीन वर्ष का पूर्णकालिक डिप्लोमा तथा सम्बद्ध क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव। अथवा डिप्लोमा पाठ्यक्रम में पार्श्व प्रवेश के मामले में, न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ कम्प्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग/ सूचना प्रौद्योगिकी में कम से कम दो वर्ष का पूर्णकालिक डिप्लोमा तथा सम्बद्ध क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव। अथवा मान्यता संस्थान/संगठन से न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको के साथ कम्प्यूटर विज्ञान में बी.एस.सी. अथवा समकक्ष तथा सम्बद्ध क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव।
3.	तकनीकी सहायक श्रेणी ।।। पोस्ट कोड -टीएईएलसी 03 08पद (यूआर-05, ओबीसी-03)	इलैक्ट्रॉनिक्स	इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी में न्यूनतम 60% अंकों के साथ कम से कम 3 वर्ष की पूर्णकालिक अवधि का डिप्लोमा, और संबंधित क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव। या डिप्लोमा पाठ्यक्रम में पार्श्व प्रवेश के मामले में इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी में न्यूनतम 60% अंकों के साथ कम से कम 02 वर्ष की पूर्णकालिक अवधि का डिप्लोमा, और संबंधित

क्रम सं.	पदनाम/वेतन लैवल	विशेषज्ञता के क्षेत्र	अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव*
			क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव।
4.	तकनीकी सहायक श्रेणी ।।। पोस्ट कोड –टीएबीआईआ े04 01 पद (यूआर-01)	बायोइंजीनियरिंग/ बायोकेमिस्ट्री/ बायोटेक्नोलॉजी	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/संगठन से न्यूनतम 60% अंकों के साथ बायोइंजीनियरिंग /बायोकेमिस्ट्री/बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी या समकक्ष तथा संबंधित विषय में 01 वर्ष का अनुभव।
5.	तकनीकी सहायक श्रेणी ।।। पोस्ट कोड –टीएसीएच 05 01 पद (यूआर-01)	कैमिस्ट्री	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/संगठन से न्यूनतम 60% अंकों के साथ रसायन विज्ञान में बीएससी या समकक्ष तथा प्रासंगिक विषय में 01 वर्ष का अनुभव
6.	तकनीकी सहायक श्रेणी ।।। पोस्ट कोड –टीएसीआईवी 06 01 पद (यूआर-01)	सिविल इंजीनियरिंग	सिविल इंजीनियरिंग/प्रौद्योगकिी में न्यूनतम 60% अंकों के साथ कम से कम 3 वर्ष की पूर्णकालिक अवधि का डिप्लोमा और सिविल कार्यो, निविदा दस्तावेजों के लिए अनुमान तैयार करने, कार्यो के निष्पादन की निगरानी, बिल तैयार करने और मौजूदा भवनों और सेवाओं आदि के रखरखाव को संभालने के क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव। या डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में पार्श्व प्रवेश के मामले में सिविल इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में न्यूनतम 60% अंकों के साथ कम से कम 02 वर्ष की पूर्णकालिक अवधि का डिप्लोमा और सिविल कार्यो, निविदा दस्तावेजों के लिए अनुमान तैयार करने, कार्यो के निष्पादन की निगरानी, बिल तैयार करने और मौजूदा भवनों और सेवाओं आदि के रखरखाव को संभालने के क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव।

* अनुभव की गणना न्यूनतम विहित अर्हता प्राप्ति के बाद की जाएगी

संक्षेपाक्षर : यूआर-अनारक्षित, ओबीसी-अन्य पिछड़े वर्ग, ईडब्ल्युएस- आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, पीडब्ल्यूबीडी- वैंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति, वीएच-दृष्टि दिव्यांगता, एचएच- श्रवण दिव्यांगता, ओएच- आर्थोपेडिक दिव्यांगता

उपर्युक्त अर्हताओं के अतिरिक्त, कोई अन्य मान्यता प्राप्त अर्हता जोकि विहित अर्हता के समकक्ष हो, उस अर्हता के समान मानी जाएगी।

सामान्य सूचना व शर्तें

1. **परिषद् सेवा के अंतर्गत लाभ :**

क. सभी पदों पर सामान्य भत्ते यथा मंहगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए) तथा परिवहन भत्ता (टीए) आदि, जैसा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय तथा सीएसआईआर में लागू हैं, प्रदान किए जाएंगे। परिषद् कर्मी सीएसआईआर आवास आबंटन नियमावली के अनुसार अपनी पात्रता के अनुसार क्वार्टर उपलब्ध होने पर आवास के हकदार हैं, ऐसे मामले में एचआरए प्रदान नहीं किया जाएगा।

ख. प्रत्येक पद के वर्ग के समक्ष उल्लिखित परिलब्धियों के अतिरिक्त नई पेंशन योजना-2004, चिकित्सा खर्चो की प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियाअत, वाहन अग्रिम एवं गृह निर्माण अग्रिम आदि की सुविधाएं सीएसआईआर के नियमों के अनुसार उपलब्ध होंगी।

ग. सीएसआईआर मूल्यांकन पदोन्नति योजना के अंतर्गत कैरियर उन्नति के लिए योग्य उम्मीदवारों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराता है।

2. **अन्य शर्ते :**

क. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

ख. सभी आवेदक ऑनलाइन आवेदन के प्राप्त होने की अंतिम तिथि को विज्ञापन में निर्धारित अनिवार्य अपेक्षाओं और अन्य शर्तो को पूरा करते होने चाहिए। उन्हें परामर्श दिया जाता है कि आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित अनिवार्य अर्हताएं पूरी करते हों। पात्रता के संबंध में मांगी गई किसी जानकारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग. निर्धारित की गई अनिवार्य अर्हताएं न्यूनतम हैं तथा केवल इन्हें पूरा करने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार/ट्रेड टैस्ट/लिखित परीक्षा आदि(जैसा लागू हो) के अवसर का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इस संबंध में विधिवत् गठित अनुवीक्षण समिति स्वयं अपने तरीके से उम्मीदवारों की सूची बनाएगी। अत: उम्मीदवार न्यूनतम निर्धारित अर्हताएं प्राप्त करने के बाद की दसवीं कक्षा से लेकर संबंधित क्षेत्र में प्राप्त समस्त अर्हताओं और अनुभव का उल्लेख करें और इसके समर्थन में दस्तावेज अपलोड करें।

घ. आवेदन के साथ संगत शैक्षिक अर्हताओं, अनुभव संबंधी प्रमाणपत्र एवं आवेदन प्रपत्र में प्रदत्त अन्य जानकारी के समर्थन में अपेक्षित दस्तावेज़ अपलोड किए जाएँ। निर्धारित अर्हताएं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान इत्यादि से प्राप्त की होनी चाहिए। अधूरे आवेदन/अपेक्षित प्रमाणपत्रों/दस्तावेज़ो के बिना प्राप्त हुए आवेदनों को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा।

ड्. अनिवार्य अर्हताओं के समकक्ष शर्त के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की अपेक्षाओं के अनुसार किसी विशिष्ट शैक्षिक अर्हता को समकक्ष मानते हुए दावा कर रहा है, तो उसे इससे संबंधित आदेश/पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा उस प्राधिकरण का विवरण (संख्या एवं तिथि सहित) भी देना होगा, जिसके अंतर्गत इसे समकक्ष माना गया है।

च. उम्मीदवारों की लघु-सूची तैयार करने हेतु मान्य अनुभव के निर्धारण में अंशकालिक आधार पर, दैनिक मजदूरी, विज़िटिंग/अतिथि संकाय के रूप में प्राप्त अनुभव की अवधि की गणना नहीं की जाएगी।

छ. यदि कोई दस्तावेज़ हिंदी या अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उसकी हिंदी या अंग्रेजी प्रतिलिपि राजपत्रित अधिकारी अथवा नोटरी से अनुप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करें।

ज. अधिकतम आयु सीमा, योग्यता एवं/अथवा अनुभव निर्धारत करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी।

झ. संबंधित विषय/कार्य के क्षेत्र में अनुभव की अवधि, जहां निर्धारित है, की गणना उस ग्रेड के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने की तिथि से की जाएगी।

ञ. भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाले बैंचमार्क दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूबीडी) को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

ट. संस्थान लिंग अनुपात आधारित कार्यदल स्थापित करने के लिए प्रयासरत है, अत: महिला कर्मियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

ठ. चयन किया गया उम्मीदवार पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन होगा। परिवीक्षा अवधि को सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधा की सफल समाप्ति पर निवर्तमान नियमों के अनुसार उनके स्थायीकरण पर विचार किया जाएगा।

ढ. राजभाषा संकल्प के अनुसार, चयन किए गए उम्मीदवार को परिवीक्षा अवधि के दौरान हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करना होगा।

ण. परिवीक्षा अवधि की सफल समाप्ति पर, नियुक्ति किसी भी समय दोनों ओर से यथा नियुक्त किया गया व्यक्ति या नियुक्ति प्राधिकारी, द्वारा बिना कोई कारण दिए एक मास के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार है कि तत्काल या नोटिस की विहित अवधि की समाप्ति से पहले ही, नोटिस या असमाप्त अवधि के वेतन एवं भत्तों के बराबर राशि के भुगतान पर, नियुक्त किए गए व्यक्ति की सेवाएँ समाप्त कर दे।

त. परिषद् की सेवाएँ भारत में कहीं भी स्थानान्तरित की जा सकतीं हैं। सीएसआईआर-सीएसआईओ किसी भी कर्मी को जनहित में एक से दूसरी प्रयोगशाला/संस्थान के साथ-साथ उसके विस्तार/क्षेत्रीय केन्द्र में स्थानान्तरित कर सकते हैं। निदेशक, सीएसआईआर-सीएसआईओ किसी भी कर्मी को संगठन/प्रयोगशाला के मुख्यालय से विस्तार/फील्ड/क्षेत्रीय केन्द्र में या विलोमत: स्थानान्तरित कर सकते हैं।

थ. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 एवं केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के प्रावधान तथा परिषद् कर्मियों पर लागू समय-समय पर प्राप्त होने वाले ऐसे कोई अन्य नियम या निष्पादन आदेश जिनकी नियुक्ति के संबंध में प्रयोज्यता हो तथा उनकी प्रयोज्यता के संबंध में परिषद् का निर्णय अंतिम होगा।

ध. चयन किए गए उम्मीदवारों को इस संगठन में कार्यग्रहण से पूर्व कहीं और नियुक्ति के लिए किया गया आवेदन वापिस लेना होगा तथा उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होने की या रोज़गार प्रस्ताव स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

न. चयन किए गए उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि के दौरान कहीं और अथवा सीएसआईआर-सीएसआईओ में नियुक्ति के लिए आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि उन्होंनें पहले ही किसी अन्य संगठन में किसी पद के लिए आवेदन दिया है तो उन्हें ऐसे आवेदनों का विवरण इस संस्थान में कार्यग्रहण के तत्काल बाद देना होगा ।

प. सीएसआईआर-सीएसआईओ यदि किसी विशेष पद को न भरना चाहे तो इसका अधिकार सीएसआईआर-सीएसआईओ के पास सुरक्षित है। वास्तविक चयन के समय ऊपर अंकित की गई रिक्तियों की संख्या बदल सकती है।

फ. कोई भी मामला जो विज्ञापन में विशेष तौर पर बताया नहीं गया है, निदेशक, सीएसआईआर-सीएसआईओ, चण्डीगढ़ द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

ब. आवेदन में दी गई सूचना और मूल दस्तावेज़ों के बीच पाई गई कोई भी विसंगति उम्मीदवार को पद के लिए अयोग्य बनाएगी।

भ. पात्रता, आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, चयन की पद्धति, परीक्षा लेने संबंधी सभी मामलों में सीएसआईआर-सीएसआईओ का निर्णय अंतिम एवं उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा।

म. किसी भी प्रकार के पक्ष-प्रचार तथा/अथवा राजनैतिक या अन्यथा किसी भी प्रकार की सिफारिश को पद के लिए अयोग्यता माना जाएगा।

य. **अंतरिम पूछताछ अथवा पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**

ल. कृपया अद्यतन सूचना(स्क्रीनिंग सूची, साक्षात्कार/परीक्षा तिथि, ट्रेड टैस्ट, लिखित परीक्षा) के लिए हमारी वैबसाइट "**http://www.csio.res.in**" को नियमित रूप से देखें।

3. **<u>आरक्षण एवं छूट</u> :**

क. ओबीसी उम्मीदवारों के मामले में उनके लिए आरक्षित पद के लिए ऊपरी आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट है। उम्मीदवारों के उनके ओबीसी श्रेणी के होने के दावे को उनके प्रमाणपत्रों की स्व-अनुप्रामाणित छायाप्रतियों की प्रस्तुति की शर्त पर विचार किया जाएगा। प्रमाण पत्र भारत सरकार में पदों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा तय विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। अनारक्षित नियुक्तियों के लिए आवेदन करने वाले ओबीसी उम्मीदवार आयु में छूट के पात्र नहीं होंगे। ओबीसी आधार पर नियुक्ति का इच्छुक व्यक्ति यह सुनिश्चित करे कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह एस विहित तिथि यथा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को समुन्नत वर्ग (क्रीमी लेयर) में नहीं आता है। ओबीसी उम्मीदवारों की पात्रता भारत सरकार की केन्द्रीय सूची में शामिल जातियों के आधार पर होगी। ओबीसी उम्मीदवार समुन्नत वर्ग (क्रीमी लेयर) में नहीं होना चाहिए। उपजाति को भारत सरकार की केन्द्रीय सूची की एंट्रियों के साथ मेल खाना चाहिए अन्यथा उम्मीदवार को किसी भी आवेदित आरक्षित श्रेणी के तहत विचारार्थ नहीं माना जाएगा तथा यदि अन्यथा पात्र होगा तो अनारक्षित माना जाएगा।

ख. सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों, सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नियमित कर्मचारियों के लिए ऊपरी आयुसीमा में पॉंच वर्ष की छूट है।

ग. अनारक्षित पदों के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आयुसीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

घ. भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं तथा पति से कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं के लिए, जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो, ऊपरी आयुसीमा में 35 वर्ष (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को 40 वर्ष तथा अन्य पिछड़ी जातियों के सदस्यों को 38 वर्ष, उनके लिए आरक्षित पद होने पर) तक की छूट प्राप्त है। इस उप-पैरा के तहत आयुसीमा में छूट का दावा करने वाले सदस्यों को निम्नलिखित दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे -

(i) विधवा के मामले में, पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं शपथ-पत्र कि उसके बाद उसने पुनः विवाह नहीं किया है।

(ii) तलाकशुदा महिलाओं तथा पति से कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं के मामले में तलाक या कानूनी रूप से अलग होने के प्रमाण के तौर पर कोर्ट के निर्णय या डिग्री की प्रमाणित प्रति के साथ इस आशय का शपथ-पत्र कि तब से उन्होंने विवाह नहीं किया है ।

ङ. **बैचमार्क दिव्यांगजनों(पीडब्ल्यूबीडी) के लिए :** नेत्रहीन, मूक-बघिर तथा शरीरिक रूप से दिव्यांग तथा केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार अन्य विशिष्ट दिव्यांगजनों को नियुक्ति के लिए 10 वर्ष की आयु सीमा छूट (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को 15 वर्ष तथा अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को 13 वर्ष) प्राप्त है बशर्ते कि विहित तिथि को आवेदक की अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक न हो। इस उप-पैरा के तहत आयुसीमा छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को अपने दावे के समर्थन में विहित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें स्पष्ट अंकित होगा कि उनकी शारीरिक अक्षमता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक है। किसी भी स्थिति में, इन उम्मीदवारों की नियुक्ति इस शर्त पर होगी कि वे चयन के द्वारा सीधी भर्ती से भरे जाने वाले प्रत्येक श्रेणी (ए, बी या सी) के पद के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शारीरिक सक्षमता मानकों के अनुरूप सक्षम पाए गए।

च. **बैचमार्क दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षण** (हॉरिजॉण्टल आरक्षण)

(i) नेत्रहीनता तथा कम दिखना

(ii) बधिरता तथा कम सुनना

(iii) सेरेबल पालसी सहित चलने में अक्षमता, ठीक हुआ कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड हमले के शिकार तथा मांसपेशीय दुर्विकास(ओएच)

(iv) ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता तथा मानसिक बीमारी (एआईएम)

(v) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए चिन्हित किए गए पदों में बधिर-नेत्रहीन सहित खण्ड (i) से (iv) के तहत उल्लिखित व्यक्तियों में से विभिन्न दिव्यांगताएँ (एमडी)

(vi) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की अधिसूची में विशिष्ट दिव्यांगताओं की परिभाषा दी गई है।

(vii) **आरक्षण के लिए बैचमार्क दिव्यांगता की मात्रा तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी:** पदों पर आरक्षण/शर्तो में छूट के लिए केवल वही व्यक्ति पात्र होंगे जिनकी संबंधित बैंचमार्क दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो। इस प्रकार की छूट तथा/अथवा आरक्षण प्राप्त करने वाले दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के अध्याय 7 के तहत नियम 18(1) के फॉर्म V, VI तथा VII के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। संशोधित प्रारूप के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 15. 06.2017 के अनुसार फॉर्म V, VI तथा VII (जैसा भी मामला हो) देखें। दिव्यांगजन अधिनियम 1995(अब निरस्त) के तहत जारी किए गए मौजूदा दिव्यांगता प्रमाण पत्र उनमें अंकित तिथि तक वैध रहेंगे।

छ. असाधारणतया मेधावी उम्मीदवारों के मामले में आयु, शैक्षिक योग्यता और/ या अनुभव में निर्धारित सीमा से अधिक छूट पर विचार किया जाएगा ।

ज. **तकनीकी सहायक** के पद के लिए पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए अनुमेय विकलांगता: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडी-।।। दिनांक 04.01.2021 के अनुसार

झ. **आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गो(ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण:**

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 जनवरी, 2019 के का.ज्ञा. सं. 36039/1/2019-स्था.(आर.) के तहत अनुदेशों के दिशानिर्देशों के अनुसार ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ रिक्तियाँ(10 प्रतिशत कोटे के तहत) आरक्षित की गई हैं।

उम्मीदवार जो एससी/एसटी/ओबीसी के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं तथा जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय रु.8.00 लाख (मात्र आठ लाख रुपए) से कम है, ईडब्ल्यू के तहत आरक्षण के लाभ के लिए चिन्हित किए गए हैं। आय में, आवेदन से पूर्व के वित्त वर्ष के लिए सभी स्रोतों की आय भी शामिल होगी यथा वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि। उम्मीदवार, जिनका परिवार निम्नलिखित में से किसी भी संपत्ति का मालिक या अधिकारी है, पारिवार की आय के बावजूद, ईडब्ल्यूएस श्रेणी से बाहर माने जाएँगे:
(i) 5 एकड़ या उससे अधिक की कृषि योग्य भूमि
(ii) 1000 फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट
(iii) 100 वर्ग गज़ या उससे अधिक का अधिसूचित म्युनिस्पैलिटी में आवासीय प्लॉट
(iv) 200 वर्ग गज़ या उससे अधिक का अधिसूचित म्युनिस्पैलिटी में इतर क्षेत्र में आवासीय प्लॉट

ईडब्ल्यूएस स्थिति तय करने के लिए भूमि या संपत्ति स्वामित्व जाँच करते समय 'परिवार' की विभिन्न स्थानों और शहरों की संपत्ति मिलाकर गणना की जाएगी।

इस प्रयोजन के लिए 'परिवार' की परिभाषा में आरक्षण का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति, उसके अभिभावक तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ उसके पति या पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल होंगे। **सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत** करके ईडब्यूएस के तहत आरक्षण लाभ प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसी एक प्राधिकारी द्वारा अनुलग्नक – 1 में दिए गए विहित प्रारूप में प्रस्तुत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र ही उम्मीदवार के ईडब्ल्यूएस श्रेणी में होने के दावे के लिए स्वीकार्य होगा।

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधीश/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/ उपमण्डल मजिस्ट्रेट/ ताल्लुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त
(ii) चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट
(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो और
(iv) उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यत: जहाँ रहता हो उस क्षेत्र का उपमण्डल अधिकारी

इडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास इस नोटिस के लिए आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इन शर्तो को पूरा न करने पर ईडब्ल्यूएस के तहत उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे उम्मीदवारों के आवेदन पर, यदि वे सामान्य(अनारक्षित) श्रेणी की पात्रता पूरी करते हों, तो केवल सामान्य(अनारक्षित) रिक्तियों के तहत विचार किया जाएगा।

ञ. **आरक्षण/छूट का लाभ लेने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों के लिए विशेष नोट**

सभी उम्मीदवार जो ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी के तहत आरक्षण/छूट के इच्छुक हैं सुनिश्चित करें कि वे नियमों/नोटिस में विहित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/छूट के पात्र हैं। उनके पास उनके दावे के समर्थन में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र उसी प्रारूप में उपलब्ध होने चाहिए जैसाकि नियमों/नोटिस में दिया गया है तथा वे उन्हें, विहित प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे जब संस्थान द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र मांगे जाएँगे। अन्यथा उनके ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी के तहत आरक्षण/छूट के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी/आवेदन पर सामान्य(अनारक्षित) श्रेणी में ही विचार किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत नियुक्त उम्मीदवारों को एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/अनारक्षित(यूआर) की सम्बद्ध श्रेणी के प्रति समायोजित कर दिया जाएगा।

4. आवेदन कैसे करें :

1. योग्य उम्मीदवार हमारी वैबसाइट **http://www.csio.res.in** के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन के प्रिंट आउट या अन्य कोई दस्तावेज सीएसआईआर-सीएसआईओ में डाक द्वारा या दस्ती जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सलाह दी जाती है कि अन्य दस्तावेजों सहित अपने ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट बाद में संदर्भ और सत्यापन के लिए अपने पास रखें।

2. यदि उम्मीदवार का वैध ई.मेल आई.डी. नहीं है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व उसे नया वैध ई.मेल आई.डी. बनाना होगा।

3. ऑनलाइन आवेदन सीएसआईआर-सीएसआईओ वैबसाइट **http://www.csio.res.in** पर 16.07.25 **से** 15.08.25 **को** 5.00 **बजे अपराह्न** तक भरा जा सकेगा।

4. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

5. सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए रु.500/-+जीएसटी = रु.590/- (मात्र पॉच सौ नब्बे रुपए) का ऑनलाइन आवेदन शुल्क लागू है, जोकि अप्रतिदेय है। फीस केवल **स्टेट बैंक कलैक्ट** पर ऑनलाइन जमा की जाए। फीस के सफल भुगतान के बाद जारी हुई ट्रांसैक्शन संख्या ऑनलाइन आवेदन में भरी जानी आवश्यक है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ई.रसीद डाउनलोड करें तथा अपने पास सम्भाल कर रखें। ऑनलाइन फीस जमा कराने का तरीका सीएसआईआर-सीएसआईओ वैबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुदेशों में अंकित है। **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/महिला/भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है, बशर्ते कि वे संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें (सीएसआईआर के नीति प्रभाग परिपत्र संख्या 5-1(603)/2018-पीडी दिनांक 05.11.2024 द्वारा अधिसूचित सीएसआईआर निर्देशानुसार)। निर्धारित शुल्क के बिना आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।**

6. ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि **15.08.25** को **5.00** बजे अपराह्न तक है।

7. सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए ग्रेड आादि प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के मामले में उम्मीदवारों से अनुरोध है कि अपने विश्वविद्यालय/संस्थानों के नियमों के तहत दिए गए फार्मूले के अनुसार इसे प्रतिशत में बदलकर लिखें।

8. **'सबमिट बटन'** पर क्लिक करने के बाद प्रदर्शित पृष्ठ पर जारी किया गया **'आवेदन फार्म नम्बर'** प्राप्त होने पर ऑनलाइन आवेदन सफल माना जाएगा। कृपया इसे सावधानीपूर्वक नोट करके अपने पास रखें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आवेदन को दोबारा प्रिंट नहीं कर पाएंगे।

9. एक से अधिक पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार प्रत्येक पद के लिए अलग आवेदन फीस सहित अलग से ऑनलाइन आवेदन करें।

10. प्रस्तुत किया गया आवेदन वापिस नहीं लिया जा सकता तथा जमा की गई फीस की राशि भी किसी भी स्थिति में लौटाई नहीं जा सकती, न ही इसे किसी अन्य भर्ती या चयन प्रक्रिया के लिए रिज़र्व में रखा जा सकता है।

11. **इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंत में हड़बड़ी से बचने के लिए समय पर आवेदन करें तथा यह अधिसूचित किया जाता है कि ऑनलाइन तकनीकी कारणों/समस्याओं के आधार पर अंतिम तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी।**

12. अपूर्ण {यथा- बिना फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/लागू शंसापत्रों/आवेदन शुल्क(जहॉं भी लागू हों) आदि अपलोड के} आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा तत्काल अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

13. ऑनलाइन आवेदन फार्म सफलतापूर्वक जमा करने के बाद उसकी किसी भी प्रकार की वापसी/आशोधन/रद्द होने की अनुमति नहीं है।

5. चयन प्रक्रिया :

तकनीकी सहायक के लिए : *संविक्षा समिति द्वारा संस्तुत उम्मीदवारों को ट्रेड टैस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड टैस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों को प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा से सम्बद्ध विवरण (मानसिक योग्यता परीक्षण, सामान्य ज्ञान तथा अंग्रेज़ी भाषा तथा सम्बद्ध विषय आदि पर तीन पेपर शामिल होंगे) इस प्रकार है:*

इस पद के लिए तीन पेपर होंगे (पेपर-।, पेपर-।। तथा पेपर-।।।), उन्हीं उम्मीदवारों के पेपर-।। व पेपर-।।। जॉंचे जाएँगे जो पेपर-। में न्यूनतम थ्रैशहोल्ड अंक(संविक्षा समिति द्वारा तय किए जाएँगे) प्राप्त करेंगे। संविक्षा समिति द्वारा मैरिट के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित करने के बाद, उम्मीदवारों द्वारा पेपर-।। व पेपर-।।। में प्राप्त अंकों के आधार पर अंतिम मैरिट सूची तैयार की जाएगी।

परीक्षा की प्रणाली	ओएमआर आधारित या कम्प्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न
प्रश्नों का माध्यम	अंग्रेज़ी विषय की परीक्षा के प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्न हिन्दी व अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में तैयार किए जाएँगे।
परीक्षा का स्तर	डिप्लोमा/स्नातक स्तर(पद की विज्ञापित योग्यता के आधार पर)
कुल प्रश्न	200
कुल आवंटित समय	3 घंटे

पेपर-I(आवंटित समय- 1घंटा)

विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	नेगेटिव अंक
मानसिक योग्यता परीक्षा *	50	100 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए दो अंक)	इस पेपर में कोई निगेटिव अंक नहीं कटेंगे।

* मानसिक योग्यता परीक्षा ऐसे तैयार की गई है कि उसमें सामान्य बुद्धिमत्ता, मात्रात्मक योग्यता, तर्क योग्यता, समस्या समाधान, स्थितिजन्य निर्णय क्षमता आदि शामिल होंगे।

पेपर-II(आवंटित समय- 30 मिनट)

विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	नेगेटिव अंक
सामान्य ज्ञान	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा।
अंग्रेज़ी भाषा	25	75 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा।

पेपर-III(आवंटित समय- 90 मिनट)

विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	नेगेटिव अंक
सम्बद्ध विषय	100	300 (प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक)	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाएगा।

ट्रेड टैस्ट तथा पेपर-III लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम मोटे तौर पर शैक्षिक योग्यता के लिए विहित शैक्षिक पाठ्यक्रम पर तथा सीएसआईआर-सीएसआईओ की सम्बद्ध ट्रेड की आवश्यकताओं पर आधारित होगा। अभ्यर्थियों की सामान्य जानकारी के लिए क्षेत्रवार पाठ्यक्रम भी सीएसआईआर-सीएसआईओ वेबसाइट पर यथासमय अधिसूचित कर दिया जाएगा।

टाई केस - जहां भी दो या दो से अधिक उम्मीदवारों ने समान कुल अंक प्राप्त किए हैं, (टाई केस) के समाधान की कार्यप्रणाली, पत्र संख्या 5-1(211)/2014-पीडी दिनांक 30.05.2023 के तहत अधिसूचित विषय पर सीएसआईआर दिशानिर्देशों के अनुसार होगी, जो वेबसाइट www.csir.res.in पर उपलब्ध है।

6. दिव्यांगजनों के लिए दिशानिर्देश

बैंचमार्क दिव्यांगजनों के मामले में, प्रतिपूरक समय, लिखनेवाले/बोलकर लिखवाने वाले की सुविधाएँ का. ज्ञा. सं. 34-02/2015-डीडी-III दिनांक 29.08.19 एवं शुद्धि पत्र सं. 34-02/2015-डीडी-III(पीटी) दिनांक 08.02.19 के तहत जारी व सीएसआईआर द्वारा दिनांक 15.03.19 को पृष्ठांकित एमओएसजेई अनुदेशों से शासित होंगी।

6. **आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ अवश्य अपलोड किए जाएं, अन्यथा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है:**

1) नवीनतम पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटोग्राफ
2) हस्ताक्षर
3) जन्म प्रमाणपत्र
4) शैक्षिक अर्हता प्रमाणपत्र {10वीं, 12वीं, डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक, पीएच.डी.(यदि लागू हो) सीजीपीए से प्रतिशत में बदलने का रूपांतरण फार्मूला}
5)
   (i) अनुभव प्रमाणपत्र, यदि कोई हो
   (ii) यदि सरकारी विभाग/स्वायत्त निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में कार्यरत हों तो, उचित माध्यम से अग्रेषित किया गया आवेदन/वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र।
   (iii) आवेदन फॉर्म में दी गई सूचना के समर्थन में पेटेंट/प्रकाशनों के दस्तावेज़
6)
   i) जाति प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।
   ii) दिव्यांगजनों के मामले में दिव्यांगता प्रमाणपत्र
   ii) अनुलग्नक - 1 में दिए गए विहित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र (ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत उम्मीदवारों के मामले में)
   iv) विधवा/तलाकशुदा महिलाओं/पति से कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं (यदि लागू हो) के मामले में सम्बद्ध प्रमाणपत्र।
7) अन्य कोई सम्बद्ध दस्तावेज।

नोट: इस विज्ञापन के अंग्रेज़ी संस्करण और उसके हिन्दी अनुवाद में कोई विसंगति पाए जाने पर अंग्रेज़ी संस्करण ही मान्य होगा।

अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए सीएसआईआर-सीएसआईओ की वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। अभ्यर्थियों को अलग से कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक

<u>प्रमाणपत्रों के प्रारूप:</u>

1. सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत उम्मीदवार के नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' का प्रारूप।
2. आयु में रियायत का दावा करने के लिए परिषद/सरकार/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप ।
3. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप।
4. भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र (समुदाय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त)।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र।

अनुबंध- I

सीएसआईआर/सरकारी संगठनों/स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत उम्मीदवार के नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' का प्रारूप।

(संस्था/जारीकर्ता प्राधिकारी का पत्र शीर्ष)

सं. .... **दिनांक:** [दिन/माह/वर्ष]

विज्ञापन संख्या [विज्ञापन संख्या] पर आवेदन करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम], [पदनाम], इस विभाग/संगठन के स्थायी/नियमित कर्मचारी हैं तथा [कार्यभार ग्रहण तिथि] से [वर्तमान पद] के पद पर कार्यरत हैं।

इस विभाग/संगठन को विज्ञापन संख्या [विज्ञापन संख्या] दिनांक [विज्ञापन तिथि] के तहत विज्ञापित [पोस्ट कोड/पद] पद के लिए उनके आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं है। इस विभाग/संगठन को डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का नाम] के चयन प्रक्रिया में भाग लेने या नए पद पर उपर्युक्त नियुक्ति के लिए विचार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम] वर्तमान में लागू आचरण नियमों के तहत किसी दंड का सामना नहीं कर रहे हैं और डॉ./श्री/सुश्री [कर्मचारी का पूरा नाम] न तो निलंबित हैं, न ही इस प्रमाण पत्र के जारी होने की तिथि तक उनके खिलाफ कोई सतर्कता, अनुशासनात्मक या आपराधिक मामला लंबित है।

यह प्रमाण पत्र उक्त विज्ञापन पर आवेदन करने के उद्देश्य से आवेदक के अनुरोध पर जारी किया जाता है।

जगह: ....

[विभाग/संगठन का नाम] के लिए,

[जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर] [जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम] [जारीकर्ता प्राधिकारी का पदनाम]

[आधिकारिक मुहर/स्टाम्प] [संपर्क जानकारी] [विभाग/संगठन का पता]

अनुबंध- II

<u>आयु में</u> छूट का दावा करने के लिए विभागीय उम्मीदवारों/कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप

(संस्था/जारीकर्ता प्राधिकारी का पत्र शीर्ष)

सं. .... **दिनांक:** [दिन/माह/वर्ष]

<u>विज्ञापन संख्या के विरुद्ध आवेदन करने के लिए आयु में छूट का दावा करने हेतु प्रमाण पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ./श्री/सुश्री ____पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री............................... (संस्थान का नाम) के नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी हैं और इस अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए कर्तव्य निम्नानुसार हैं:

(i) ....

(ii) ....

(iii) ....

प्रमाणित किया जाता है कि:

*(क) डॉ./श्री/सुश्री .... (संस्थान का नाम) में .... से .... तक मूलतः स्थाई पद पर कार्यरत हैं।

या

*(ख) डॉ./श्री/सुश्री .... (संस्थान का नाम) में .... के पद पर .... से .... तक स्थाई रूप से स्थाई सेवा में निरंतर रहे हैं।

* जो लागू न हो उसे काट दें।

जगह: ....

[संस्थान का नाम] के लिए

[जारीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर]
[जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम] [जारीकर्ता प्राधिकारी का पदनाम]

[आधिकारिक मुहर/स्टाम्प]

अनुबंध- III

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*.. पुत्र/पुत्री* .... ग्राम/कस्बा*.................... जिला/मंडल* .... राज्य/संघ शासित प्रदेश*.................................. के हैं और वह .... जाति/जनजाति* से संबंधित हैं जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950

@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950

@ संविधान (अनुसूचित जाति) संघ शासित प्रदेश आदेश, 1951

@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ शासित प्रदेश आदेश, 1951

[अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956 द्वारा संशोधित; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 और गोवा, दमन और दीव (पुनर्गठन) अधिनियम। 1987.]

@ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956

@ संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित @ संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962

@ संविधान (दादर और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962

@ संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964

@ संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967

@ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 @ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 @ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

@ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978

@ संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978

@ संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990

@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991

@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम। 1991

@ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@ संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002

@ संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

% 2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ शासित प्रदेश प्रशासन से दूसरे में प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती*..पिता/माता श्री/श्रीमती/कुमारी*..के गाँव/कस्बा*/क्षेत्र** के जिला/मंडल*.........................राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ....को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है, जो उस जाति/जनजाति* से संबंधित हैं जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो .... द्वारा जारी किया गया है।

% 3. श्री/श्रीमती/कुमारी*...और/या* उनका/उनकी* परिवार सामान्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* के ....जिला/मंडल* के गाँव/कस्बा* .... में रहता है।

हस्ताक्षर ....

**पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर के साथ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*

स्थान:.............................

दिनांक:...............................

* कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं होते हैं।

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे हटा दें।

नोट: यहाँ प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करते हैं" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकारियों की सूची

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वजीफा प्राप्त मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त। (प्रथम श्रेणी वजीफा प्राप्त मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का न हो)।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी, तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।

(iv) उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहाँ उम्मीदवार और/या उसका/उसकी परिवार सामान्यतः निवास करता है

(v) प्रशासक/प्रशासक का सचिव/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप)

नोट: तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को केवल राजस्व प्रभागीय अधिकारी से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अनुबंध- IV

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ___________________पुत्र/पुत्री_____________________, गाँव/कस्बे______________________जिला/संभाग___________________ के निवासी हैं और उस समुदाय से हैं जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या दिनांक__________________________* के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है और/या उनका परिवार सामान्यतः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के जिला/संभाग में निवास करता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. (एससीटी) दिनांक 8.9.1993, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था. (आरक्षण) दिनांक 9 मार्च, 2004, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था. की अनुसूची के स्तंभ 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं। (निर्णय) दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था. (निर्णय) दिनांक 27 मई, 2013**

हस्ताक्षर_______________

पदनाम _________________________$

दिनांक:

मुहर

* प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का विवरण देना पड़ सकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति ओबीसी के रूप में उल्लिखित है।

** समय-समय पर संशोधित।

सूची अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों के समान होगी।

नोटः- यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

अनुबंध- V

अन्य पिछड़ा वर्ग" के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र (समुदाय प्रमाण पत्र के अतिरिक्त)

मैं, ____________________श्री पुत्र/पुत्री__________________________निवासी, गाँव/कस्बा/शहर____________________, जिला, _________________राज्य, __________________एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं उस समुदाय से हूँ जिसे भारत सरकार द्वारा सेवाओं में आरक्षण के उद्देश्य से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36102/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 8-9-1993 में निहित आदेशों के अनुसार पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैं उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8-9-1993, कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था.(निवास) दिनांक 9 मार्च, 2004 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004-स्था.(निवास) दिनांक 14 अक्टूबर, 2008 और समय-समय पर संशोधित अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे माता-पिता/अभिभावक की क्रीमी लेयर के लिए स्थिति/वार्षिक आय की शर्त आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्धारित सीमा के भीतर है।

स्थान: दिनांक:

हस्ताक्षर _________________________________

पूरा नाम_________________________________

पता _____________________________________

स्थान: _______________________________________

दिनांक:_____________________________________

सरकार ....

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणपत्र संख्या .... **दिनांक: ....**

वर्ष के लिए वैध..................................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..पुत्र/पुत्री/पत्नी...गांव/गली ....का स्थायी निवासी, ...डाकघर,........................... क्षेत्र ....पिन कोड .... जिसका फोटो नीचे सत्यापित है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है, क्योंकि उसके/उसकी परिवार की सकल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष के लिए 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है ।

परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है:

I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;

II. 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट

III. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

IV. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... जाति से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर........................

नाम................................

पद का नाम..........................

Recent passport size attested photograph of the applicant

* नोट 1: आय में सभी स्रोत शामिल हैं, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा, आदि।

**नोट 2: इस प्रयोजन के लिए 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

***नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय एक "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया गया है।